न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 13 / 2017 शस्त्र अधिनियम्
GCMS No. 2017 / 00215

चरणजीत सिंह पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी 13, आर.बी. तहसील रायसिंहनगर पुलिस थाना गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलान्ट

—बनाम—

स्टेट ऑफ राजस्थान

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः— श्री बालकिशन शर्मा अभिभाषक अपीलांट
श्री गजेन्द्र सिंह अभियोजन अधिकारी राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 09.10.2025

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 05.07.2017, जिसके द्वारा अपीलांट के नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने बाबत प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 31.03.2017 को प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2017 पारित करते हुए खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।
3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गयी ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट ने अपने नाम से नवीन आर्म्स लाईसेंस हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 31.03.2017 को पेश किया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुति के समय शस्त्र चलाने व रख–रखाव के अनुभव का प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी का पदम अक्टूबर 2016 से खाली चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थी ने बाबा गन–हाऊस, श्रीपदमपुर का दिनांक 13.04.2017 का प्रमाण पत्र, जिसमें स्पष्ट उल्लेख था कि अपीलांट शस्त्र चलाने व शस्त्र के रख–रखाव के हेतु सक्षम है व उसके द्वारा भरपूर ट्रेनिंग ली गई है। यह प्रमाण–पत्र अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत भी कर दिया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों पर गौर न कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया और इकतरफा तौर पर आदेश पारित कर दिया। आदेश अधीनस्थ न्यायालय स्पष्ट ही विधि विरूद्ध व रिकार्ड विरूद्ध पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे व अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने का आदेश प्रदान करें।

5. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2017 पारित करते हुए अपीलांट के नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के आवेदन पत्र को शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता हेतु कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं होने व आर्म्स् रूल्स 2016 के नियम 10 एवं 12 के समस्त उपनियमों की पूर्ति नहीं किये जाने के आधार पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश न्यायोचित हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट तथा राज्य पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2017 पारित करते हुए अपीलांट के नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के आवेदन पत्र को शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता हेतु कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं होने व आर्म्स् रूल्स 2016 के नियम 10 एवं 12 के समस्त उपनियमों की पूर्ति नहीं

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किये जाने के आधार पर खारिज कर दिया। अभिभाषक अपीलांट इस न्यायालय में भी अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता बाबत कोई उचित कारण बताने में असफल रहे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2017 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

7. तदानुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर